नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
बनाम
केशा वी बहादुर और अन्य।
20 जनवरी, 2004
[दोरैस्वामी राजू और अरिजीत पसायत, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1939:

धारा 95-तृतीय पक्ष जोखिम-मुआवजा देने के लिए बीमाकर्ता का दायित्व-धारित सीमा: बीमाकर्ता का दायित्व सीमित है-हालाँकि, बीमा पॉलिसी में विशिष्ट खंड के मद्देनजर बीमाकर्ता का दायित्व वैधानिक दायित्व से अधिक है और अतिरिक्त भुगतान का प्रमाण है उच्च प्रीमियम, बीमाकर्ता की देनदारी वैधानिक देनदारी से अधिक हो सकती है-तथ्यों पर, बीमा पॉलिसी एक दावे या दावों की श्रृंखला के संबंध में देनदारी की सीमा 50,000 रुपये दर्शाती है, किसी भी बढ़ी हुई देनदारी के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है-इसलिए, देयता 50,000/- रुपये तक सीमित.

धारा 110सी.सी (1988 अधिनियम की धारा 17एल के अनुरूप) - व्यतिक्रम के मामले में ब्याज की उच्च दर की शर्त -अभिनिर्धारित : एक बार एक विशेष दर पर मुआवजे की राशि पर अधिकतम अधिनिर्णय देने के लिए अधिकरण को धारा 110सीसी द्वारा प्रदत्त विवेक का प्रयोग किया जाता है। भुगतान में चूक के लिए ब्याज में पूर्वव्यापी वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्रशासनिक कानून--कार्रवाई--विवेक-व्यवहार के तरीके-पर चर्चा की गई।

एच की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके बेटों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा आवेदन दायर की। बीमा पॉलिसी में, किसी एक दावे या एक घटना से उत्पन्न दावों की श्रृंखला के संबंध में बीमाकर्ता की देनदारी की सीमा 50,000/- रुपये थी और प्रीमियम का भुगतान तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम के रूप में किया गया था।अधिकरण ने रुपये का मुआवजा दिया। बीमाकर्ता द्वारा 60 दिनों के भीतर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 72,000 का भुगतान किया जाना था और व्यतिक्रम रूप से ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष होनी थी। अपीलकर्ता-बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी देनदारी रुपये तक सीमित थी। 50,000 और व्यतिक्रम दर के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने मुआवज़ा राशि को लेकर आदेश बरकरार रखा और ब्याज दर भी 12% से घटाकर 9% कर दी. हालाँकि, इसमें व्यतिक्रम दर की वैधता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया। अतः वर्तमान
अपील.

अपीलकर्ता-बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि तीसरे पक्ष के जोखिम के संबंध में वैधानिक रूप से तय की गई देनदारी प्रासंगिक समय पर 50,000रु.था, जिसके लिए प्रीमियम के रूप में 240 रुपये का भुगतान किया गया था; कि जब किसी बढ़ी हुई देनदारी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, तो 50,000/- रुपये की वैधानिक रूप से निर्धारित देनदारी से अधिक कुछ भी नहीं दिया जा सकता था, जो कि अधिकतम थी;आदेश के अनुसार बीमाकर्ता ने रु. 50,000; कि न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय कोई दंडात्मक

ब्याज निर्धारित कर सकता था क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है; और ब्याज से संबंधित एकमात्र प्रावधान अधिनियम की धारा 110 सीसी है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. बीमाकर्ता का दायित्व सीमित है जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम 1939की धारा 95 में दर्शाया गया है। हालाँकि, बीमाधारक के लिए अतिरिक्त उच्च प्रीमियम का भुगतान करना और बीमाकर्ता के लिए तीसरे पक्ष के संबंध में उच्च जोखिम स्वीकार करना खुला है, जिसके लिए बीमा पॉलिसी में ऐसे खंड की उपस्थिति होनी चाहिए और अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान का प्रमाण होना चाहिए,अन्यथा तीसरे पक्ष के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व असीमित नहीं हो सकता है और यह केवल वैधानिक दायित्व तक ही सीमित है। इसके अलावा, यदि बीमाकर्ता-अपीलकर्ता तीसरे पक्ष को मुआवजे के भुगतान के लिए उच्च प्रीमियम स्वीकार करके कोई उच्च दायित्व नहीं लेता है, तो दायित्व न तो असीमित है और न ही अधिनियम की धारा 95(2) के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्व से अधिक है। इसलिए, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता-बीमाकर्ता की देनदारी 50,000.रुपये तक सीमित है। (865-डी, ई, एच; 866-ए-डी|

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति बाई, (1995) 2 एस.सी.सी. 539; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिड बनाम जुगल किशोर, |1988] 1 एस.सी.सी. 626 और नया इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सी.एम. जया और अन्य, |2002] 2 एस.सी.सी. 278, संदर्भित।

2.1. मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110सीसी के तहत 1988 अधिनियम की धारा 171 के अनुरूप उच्च ब्याज दर का अनुदान विवेकाधीन है और इसे नियमों से बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां दावेदार अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। ब्याज देने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति पर भुगतान करने में देरी न करने का दबाव डालना है; और इस तरह की देरी के लिए पीड़ित या उसके आश्रितों को कम से कम कुछ हद तक ब्याज के रूप में मुआवजा देना। भले ही अभिव्यक्ति 'हो सकता है' का प्रयोग किया गया है, फिर भी एक कर्तव्य रखा गया है अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हित के प्रश्न पर अलग से विचार करेगा। [866-ई-जी|

2.2. यह निर्णय किया जाना है कि क्या व्यतिक्रम के मामले में अधिक ब्याज दर की शर्त अधिकरण द्वारा लगाई जा सकती है। एक बार जब अधिकरण द्वारा एक विशेष दर पर और एक विशेष तिथि से दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर साधारण ब्याज देने के विवेक का प्रयोग किया जाता है, तो मुआवजे के भुगतान में चूक के लिए पूर्वव्यापी वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस संबंध में कोई भी व्यक्त या निहित शक्ति 1939 अधिनियम की धारा 110CC या 1988 अधिनियम की धारा 171 से समाप्त नहीं की जा सकती है। मुआवज़े के भुगतान में चूक के लिए ब्याज सहित उस पर देय ब्याज को पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाने के अधिनिर्णय में इस तरह का निर्देश वास्तव में जुर्माना लगाने के बराबर है जो वैधानिक रूप से परिकल्पित और निर्धारित नहीं है। इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि अधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से उच्च ब्याज दर की शर्त लागू किए बिनाउच्च न्यायालय द्वारा दी गई ब्याज दर ही भुगतान तक लागू होगी, । [1868-ई-एच]

पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भानजी, एआईआर (1952) एससी 16; एस.पी.गुप्ता एवं अन्य। बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य, एएलआर (1982) एससी 149 और एस.जी.जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1967) एससी 1427, पर भरोसा किया गया।

जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के बिशप, (1880) 5 एसी 214; हिंडसन और किर्सी, (1680] 8 हाउ, सेंट ट्र. 57; ली बनाम बज रेलवे कंपनी, |1871| एलआर 6 सीपी एस76 और मॉर्गन बनाम मॉर्गन, |1869), एलआर 1 पी एंड एम 644 और शार्प बनाम। वेकफ़ील्ड, |1891| अपील मामले 173, संदर्भित।

हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, चौथा संस्करण, खंड। मैंने उल्लेख किया है.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की सिविल अपील संख्या 399।

ए.ओ.0 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1.2.2000 से। 1977 की संख्या 127.

एम.के. दुआ अपीलकर्ता के लिए.

न्यायालय का फैसला अरिजीत पसायत, जे. द्वारा उद्द्घोषित किया गया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद इसे कहा जाएगा

इंश्योरर')ने झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि बीमाकर्ता को रुपये का मुआवजा देना होगा। 5.6.1987 को एक वाहन दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हस्त बहादुर (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) के कानूनी प्रतिनिधियों को 72,000 रुपये का अधिनिर्णय दिया गया। मृतक हाइडल प्रोजेक्ट सिकिदरी में चौकीदार के पद पर कार्यरत था. उनके बेटों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1939 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 110A के तहत एक दावा आवेदन दायर की गई थी। मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (बाद में इसे न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने रुपये का मुआवजा दिया। 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 72,000 रु. राशि का भुगतान 60 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया. यह भी निर्देश दिया गया कि 60 दिनों के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज दर 18% होगी।बीमाकर्ता ने इस निर्देश की वैधता पर सवाल उठाया कि मुआवजे की पूरी राशि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की जानी थी; और ब्याज की व्यतिक्रम दर के संबंध में दिशा-निर्देश। इसके अनुसार, अधिनियम की धारा 95(2)Xb)X(i) के संदर्भ में देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित थी; और व्यतिक्रम दर के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। हालाँकि अधिकरण के समक्ष इन बिंदुओं पर विशेष रूप से आग्रह किया गया था, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। जहां तक उच्च न्यायालय का प्रश्न है, ऐसी ही स्थिति थी। हालाँकि इसने ब्याज के सवाल से निपटा और अधिकरण द्वारा दिए गए 12% की दर को घटाकर 9% प्रति वर्ष कर दिया, लेकिन व्यतिक्रम दर की वैधता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया।

अपीलकर्ता-बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तीसरे पक्ष के जोखिम के संबंध में वैधानिक रूप से तय की गई देनदारी प्रासंगिक समय पर 50,000/- रुपये थी, बीमा की पॉलिसी की प्रति के संदर्भ में, जिसे अधिकरण और के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उच्च न्यायालय ने बताया है कि 240 रु. तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान किया गया था। दायित्व की सीमाएँ निम्नलिखित शर्तों में भी इंगित की गईं:

"दायित्व की सीमाएँ:

(ए) किसी एक दुर्घटना के संबंध में धारा II-I (i) के तहत कंपनी की देनदारी की राशि की सीमा। इतनी राशि जो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

(बी) किसी एक दावे या एक घटना से उत्पन्न दावों की श्रृंखला के संबंध में धारा II- I (ii) के तहत कंपनी की देनदारी की राशि की सीमा: रु0 50,000 शीर्षक बी के तहत प्रीमियम की अनुसूची में "सार्वजनिक जोखिम के प्रति दायित्व" यह 240 रुपये होने का संकेत दिया गया था। सार रूप में आधार, इसलिए, यह है कि जब किसी बढ़ी हुई देनदारी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो 50,000 रुपये की वैधानिक रूप से निर्धारित देनदारी अधिकतम थी जो दी जा सकती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने 18% प्रति वर्ष की दर से उच्च दंडात्मक ब्याज की व्यतिक्रम शर्त के साथ एक विशेष समय के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दिनांक 23.2.1998 के आदेश के अनुसार बीमाकर्ता ने 50,000 रुपये जमा किए थे। - 6.3.1998 को यह बताया गया कि न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय कोई दंडात्मक ब्याज निर्धारित कर सकता था जैसा कि किया गया था, उच्च न्यायालय ने ब्याज के साथ मुआवजे की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था और यह निर्धारित किया था कि यदि बीमाकर्ता ऐसा नहीं करता है निर्णय में दर्शाई गई दर पर ब्याज के साथ शेष राशि का भुगतान करें, 18% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया जाना था।

यह प्रस्तुत किया गया कि किसी भी दंडात्मक ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। ब्याज से संबंधित एकमात्र प्रावधान अधिनियम की धारा 110सी.सी.है।

सम्मन तामील होने के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

जैसा कि अधिनियम की धारा 95 में दर्शाया गया है, बीमाकर्ता का दायित्व सीमित है। लेकिन बीमाधारक के लिए अतिरिक्त उच्च प्रीमियम का भुगतान करना और बीमाकर्ता के लिए तीसरे पक्ष के उच्च जोखिम आच्छादित सम्मान को स्वीकार करना भी खुला है। लेकिन बीमा पॉलिसी में ऐसे किसी खंड और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के प्रमाण के अभाव में बीमाकर्ता की देनदारी तीसरे पक्ष के संबंध में असीमित नहीं हो सकती है और यह केवल वैधानिक देनदारी तक ही सीमित है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति बाई, [1995] 2 एस.सी.सी. 539 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :

"(i) एक व्यापक पॉलिसी जो वाहन के अनुमानित मूल्य के आधार पर जारी की गई है, वैधानिक सीमा से अधिक राशि के लिए तीसरे पक्ष के जोखिम के संबंध में दायित्व को स्वचालित रूप से आच्छादित नहीं करती है,

(ii) भले ही किसी वाहन का उपयोग तब तक अनुमत नहीं है जब तक कि वह पूर्व में "केवल अधिनियम" नीति के अंतर्गत आच्छादित न किया गया हो, वाहन के मालिक के लिए इसका व्यापक बीमा करवाना अनिवार्य नहीं है, और

(iii) कि दायित्व की सीमा के संबंध में बीमाकर्ता की देनदारी को असीमित या वैधानिक देनदारी से अधिक बनाने के लिए विशिष्ट समझौते के अभाव में तीसरे पक्ष का जोखिम असीमित या वैधानिक देनदारी से अधिक नहीं हो जाता है।" यदि बीमाकर्ता-अपीलकर्ता उच्च प्रीमियम स्वीकार करके कोई उच्च दायित्व नहीं लेता है, तो दायित्व न तो असीमित है और न ही वैधानिक से अधिक है में अधिनियम की धारा 95(2) के तहत देनदारी तय की गई है। भले ही वाहन व्यापक बीमा का विषय है और उस स्कोर पर उच्च प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तीसरे पक्ष के जोखिम के संबंध में दायित्व की सीमाएं असीमित या निर्धारित वैधानिक दायित्व से अधिक नहीं होती हैं। इस प्रयोजन के लिए, बीमाधारक और बीमाकर्ता के बीच एक विशिष्ट समझौता करना होगा और बीमाकर्ता द्वारा ली गई देनदारी की अतिरिक्त राशि के संबंध में अलग प्रीमियम का भुगतान करना होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। वी.जुगल किशोर, [1988] 1 एस.सी.सी. 626 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिड में। वी.सी.एम. जया और अन्य, [2002] 2 एस.सी.सी. 278 एक संविधान पीठ ने शांति बाई (सुप्रा) और जुगल किशोर (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि बीमाकर्ता तीसरे पक्ष को मुआवजे के भुगतान के लिए उच्च प्रीमियम स्वीकार करके कोई उच्च दायित्व नहीं लेता है, तो बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 95(2) के तहत सीमित सीमा तक उत्तरदायी होगा और दिए गए मुआवज़े की पूरी राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।.

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि बीमाकर्ता-अपीलकर्ता का दायित्व 50,000. रुपये तक सीमित है। शेष प्रश्न यह है कि क्या ब्याज की दंडात्मक दर का कोई निर्धारण हो सकता है जैसा कि अधिकरण द्वारा किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जहां तक ब्याज की उच्च दर की शर्त का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 110CC (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 171 के अनुरूप) (संक्षेप में 'नया अधिनियम') के तहत ब्याज अनुदान है। विवेकाधीन. ब्याज देने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति पर भुगतान करने में देरी न करने का दबाव डालना है; और, इस तरह की देरी के लिए पीड़ित या उसके आश्रितों को कम से कम कुछ हद तक ब्याज के माध्यम से मुआवजा देना। प्रासंगिक धारा के तहत दिए जाने वाले ब्याज की मात्रा का निर्धारण करने में, नए अधिनियम की धारा 166 के अनुरूप अधिनियम की धारा 1!0 के तहत कार्य करने वाला न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 (संक्षेप में सी.पी.सी.) से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।वास्तव में, प्रावधानों के तहत पहले से निर्धारित मुआवजे के अलावा ब्याज के भुगतान की भी आवश्यकता है। भले ही अभिव्यक्ति 'हो सकता है' का उपयोग किया जाता है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज के प्रश्न पर अलग से विचार करने का न्यायाधिकरण का कर्तव्य बनता है।प्रावधान विवेकाधीन है और नियमों से बंधा हुआ नहीं है और न ही हो सकता है। लॉर्ड केर्न्स के शब्दों में, एल.सी. जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के बिशप में, (1880) 5 एसी 214, "लेकिन जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति में कुछ हो सकता है, उस उद्देश्य में कुछ जिसके लिए यह किया जाना है, कुछ शर्तों के तहत जो किया जाना है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के शीर्षक में कुछ जिसके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और इसे उस व्यक्ति का कर्तव्य बना सकता है जिसके पास शक्ति है

को ऐसा करने के लिए कहा जाने पर उस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है।" इस प्रतिष्ठित अवलोकन को कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।
(देखें कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम गोर्धनदास भानजी, एआईआर (1952) एससी 16 और एस.पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य, एआईआर (1982) एससी 149 हैल्सबरी लॉज़ ऑफ इंग्लैंड, 4थे संस्करण, वॉल्यूम में संप्रेषित किया गया है:-
पैरा 28: कर्तव्य और विवेक।
XXXXXX XXX

"हालांकि, एक वैधानिक विवेक अनिवार्य रूप से या वास्तव में, सामान्य रूप से पूर्ण नहीं है; यह निर्णय लेने से पहले कि क्या कार्य करना है और कैसे कार्य करना है, वास्तविक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए व्यक्त और निहित कानूनी कर्तव्यों द्वारा योग्य हो सकता है। इसके अलावा, यह विवेक हो सकता है कि किसी शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं, लेकिन इसके प्रयोग के तरीके के बारे में कोई विवेक नहीं है; या कुछ शर्तें मौजूद होने पर कार्य करने का विवेक नहीं है, लेकिन इस प्रकार विवेक को कर्तव्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। विवेक, सामान्यतः, यह विवेक है कि क्या सही और उचित है।

यह ज्ञान और विवेक को दर्शाता है, वह विवेक जो किसी व्यक्ति को सावधानी के साथसही और उचित का आलोचनात्मक निर्णय करने में सक्षम बनाता है; अच्छी समझ, और सावधानी से निर्देशित निर्णय, जानबूझकर किया गया निर्णय;निर्णय की सुदृढ़ता; मिथ्या और सत्य के बीच, गलत और सही के बीच, छाया और सार के बीच, समानता और रंगीन चमक और दिखावे के बीच अंतर करने का विज्ञान या समझ, और व्यक्तियों की इच्छा और निजी स्नेह के अनुसार नहीं करना। जब यह कहा जाता है कि कुछ अधिकारियों के विवेक के भीतर किया जाना है, कि कुछ तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है, निजी राय के अनुसार नहीं;कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं। यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए। और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जहां तक एक ईमानदार व्यक्ति, जो अपने कार्यालय के निर्वहन में सक्षम है, को खुद को सीमित रखना चाहिए (प्रति लॉर्ड हैल्सबरी, एल.सी., शार्प बनाम वेकफील्ड में, (1891) अपील मामले 173)इसके अलावा (एस.जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1967) एससी 1427 देखें।

शब्द "विवेक" अकेले खड़ा है और परिस्थितियों से असमर्थित निर्णय, कौशल या बुद्धि के अभ्यास को दर्शाता है जो मूर्खता, बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी से अलग है; जाहिर है इसलिए विवेक मनमाना नहीं हो सकता बल्कि न्यायिक सोच का परिणाम होना चाहिए। यह शब्द अपने आप में सतर्क सावधानी और देखभाल को दर्शाता है; इसलिए जहां विधायिका विवेक को स्वीकार करती है, वहां वह भारी जिम्मेदारी भी अधिरोपित करती है।

"न्यायाधीश का विवेक अत्याचारियों का कानून है; यह हमेशा अज्ञात होता है।यह अलग-अलग पुरुषों में अलग-अलग होता है। यह आकस्मिक है, और संविधान, स्वभाव, जुनून पर निर्भर करता है। सर्वोत्तम में यह कई बार अनुचित होता है; सबसे बुरी स्थिति में यह हर बुराई, मूर्खता और जुनून है जिसके लिए मानव स्वभाव उत्तरदायी है, (लॉर्ड कैनमडेन, एल.सी.जे., हिंडसन और किर्सी में (1680) 8 हाउ, सेंट ट्र.57)

यदि एक निश्चित अक्षांश या स्वतंत्रता किसी मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी से भिन्न किसी न्यायाधीश को क़ानून या नियमों द्वारा उसके समक्ष लाए गए मामलों पर निर्णय देने का अधिकार, यह न्यायिक विवेक है, यह विवेक के प्रयोग को सीमित और नियंत्रित करता है, और इसे पूरी तरह से पूर्ण, अनुचित होने से रोकता है, या समीक्षा से छूट देता है ।

ऐसा विवेक आमतौर पर निहित मूल अधिकारों के संदर्भ के बजाय प्रक्रिया या दंड, या प्रशासन के मूल्य के मामलों पर दिया जाता है। जिन विषयों पर विवेक के प्रयोग को विनियमित करना चाहिए, उन्हें प्रख्यात न्यायाधीशों ने शब्दों के कुछ अलग रूपों में लेकिन पर्याप्त पहचान के साथ कहा है। जब कोई क़ानून किसी न्यायाधीश को विवेकाधिकार देता है, तो उसका तात्पर्य न्यायिक विवेकाधिकार से है, जो कानून के ज्ञात नियमों के अनुसार विनियमित होता है, न कि केवल उस व्यक्ति की सनक या सनक जिसे यह इस धारणा पर दिया जाता है कि वह विवेकशील है (प्रति) ली बनाम बज रेलब्वे कंपनी, (1871) एलआर 6 सीपी 576, और मॉर्गन बनाम मॉर्गन, (1869), एलआरआई पी एंड एम 644 में विल्स जे.

हालाँकि अधिनियम की धारा 110सीसी (नए अधिनियम की धारा 171 के अनुरूप) ब्याज देने के लिए अधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करती है, इसका उपयोग उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां दावेदार अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह निर्णय लिया जाना है कि क्या अधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के मामले में उच्च ब्याज दर की शर्त लगाई जा सकती है।

एक बार अधिकरण द्वारा विवेक का प्रयोग कर लिया गया है। मुआवजे की राशि पर एक विशेष दर और एक विशेष तिथि से साधारण ब्याज देने के लिए, मुआवजे के भुगतान में चूक के लिए पूर्वव्यापी वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। इस संबंध में किसी भी व्यक्त या निहित शक्ति को अधिनियम की धारा एचओसीसी या नए अधिनियम की धारा 171 से हटाया नहीं जा सकता है। मुआवज़े के भुगतान में चूक के लिए ब्याज की पूर्वव्यापी वृद्धि के साथ-साथ उस पर देय ब्याज के लिए अधिनिर्णय में एक निर्देश वास्तव में जुर्माना लगाने के समान है जो वैधानिक रूप से परिकल्पित और निर्धारित नहीं है। इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ब्याज दर ही भुगतान तक लागू होगी, अधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से उच्च ब्याज दर की शर्त लागू किए बिना।

बीमाकर्ता प्रदान की गई राशि को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता है। इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि 50,000 रुपये की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाए जो बीमाकर्ता की देनदारी है; दावे की तारीख से 06.03.1988 तक, यदि पहले ही भुगतान नहीं किया गया है या अधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष जमा नहीं किया गया है, तो आज से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना, बताई गई सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

एन.जे.अपील की अनुमति.

<u>**यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।**</u>